



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



विस्तृत निर्देश

(विज्ञापन संख्या:-03/2020)

राज्य के शहरी क्षेत्रों में बाह्य सत्रों (Outreach Sessions) पर टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने एवं Model Immunization Centres पर कार्य करने हेतु राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत ए०एन०एम० के संविदागत पदों पर नियोजन के उद्देश्य से भारत के सुयोग्य नागरिक अभ्यर्थियों से Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

S. No.	Name of Post	Total No. of Posts	Salary per month	Vacancy Details and Reservation	Qualification & Experience
1	ANM	865	11,500/-	UR-225, UR(F)-122, EWS-61, EWS(F)-25, MBC-97, MBC(F)-58, SC-86, SC(F)-52, BC-69, BC(F)-35, ST-6, ST(F)-3, WBC-26	Essential Qualification <ul style="list-style-type: none"> Diploma (2 Years Full Time) in Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) training course from a recognized ANM Training institute. Registration of candidates from "Bihar Nurses Registration Council" shall also be necessary.

(UR-Unreserved, MBC-Most Backward Class, BC-Backward Class, SC-Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, EWS- Economically Weaker Section, WBC-Women of backward classes, F-Female, M-Male)

निर्देश:-

- उक्त पद हेतु स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 936 (12) दिनांक 15.10.2019 एवं विज्ञापन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website - statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है, जिसे download किया जा सकता है।
- उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए Cut off Date- 01.01.2020 होगी।
- उक्त पद पर भर्ती हेतु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार निम्नानुसार से अधिक न हो:-

(i) अनारक्षित वर्ग / EWS (पुरुष)	-	37 वर्ष
(ii) पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	-	40 वर्ष
(iii) अनारक्षित वर्ग / EWS (महिला)	-	40 वर्ष
(iv) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	-	42 वर्ष
- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62, दिनांक- 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य।
- इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- statehealthsocietybihar.org के Home page पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके दिशा-निदेश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु गठित नियमावली एवं सामान्य निदेश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
- "Bihar Nurses Registration Council" से निबंधन होना अनिवार्य है। वैसे अभ्यर्थी, जो Indian Nursing Council/अन्य राज्य के Nursing Council से निबंधन कराये हैं, वे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/काउन्सेलिंग के समय "Bihar Nurses Registration Council" से निबंधन होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। इस हेतु कडिका 2 में निर्धारित Cut off Date शिथिल माना जाएगा।
- उक्त पद के लिए Online आवेदन पत्र भरने हेतु निम्नानुसार तिथि का निर्धारण किया जाता है:-

1	Online आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	09/03/2020 (10 बजे पूर्वाह्न से)
2	आवेदन शुल्क भुगतान करने की तिथि	09/03/2020 (10 बजे पूर्वाह्न से)
3	Online आवेदन भरने की अंतिम तिथि	30/03/2020 (6.00 बजे अपराह्न तक)
4	आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	30/03/2020 (6.00 बजे अपराह्न तक)

Signature

Signature

8. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति अधिकतम 11 माह के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए या बिहार सरकार से राशि प्राप्त होने तक या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तब तक के लिए किया जाएगा।
9. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
11. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।
12. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा विहित किये गये प्रपत्र में एकरारनामा करना होगा।
13. **आरक्षण:-**
 - (i) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
 - (ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन Online आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। Online आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - (iii) Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
 - (iv) उसी प्रकार, Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
 - (v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
 - (vi) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र (अनुसूची-1/प्रपत्र-1) मान्य होगा।
 - (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2326 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
 - (viii) Online आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।
 - (ix) भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाति/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को Online आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत

Signature

Signature

(भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाति/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

14. आवेदन शुल्क:-

1. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking/Credit/Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंको द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंको द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

आवेदन शुल्क कोटिवार निम्नवत निर्धारित है:-

कोटि	पुरुष	महिला
सामान्य	500	250
EWS/BC/MBC	500	250
SC/ST (Bihar Domicile)	250	250
दिव्यांग	250	250

2. वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional applicant fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

15. चयन का आधार:-

- (i) निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी:-

चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100 (एक सौ) पूर्णांक होगा-

Sl. No.	Name of Post	Total No. of Post	Selection Process & Criteria			Salary Per Month
			Computer Based Test (CBT)	Academic Qualification	Interview	
1	ANM	865	50	50 (0.5 for each percentage of marks in Essential Qualification)	NA	11,500

16. मेधा सूची में Tie होने पर दिशा-निर्देश:

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची CBT में प्राप्त अंको एवं शैक्षणिक योग्यता के अधिभार अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात्, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

Signature

Rajsh

7. **Computer Based Test (CBT) मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक:**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 एवं संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18. Document Verification/Counselling के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा।

1. Copy of Online Filled up Applicant form.
2. पाँच पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)।
3. Photo Identity proof (Aadhar and pan card/Driving License/Voter ID Card/Passport).
4. जन्म तिथि की साक्ष्य (Proof Of Date of Birth) हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
5. All educational qualification Mark sheet/Degrees (from Xth till last qualification).
6. Copy of work experience certificate.(As in the absence of work experience certificate candidate will submit the joining letter and relieving letter/order and in case of serving employee, latest salary slip/certificate may be considered.)
7. If the candidate is working in any Government OR Government PSU/Organization NOC from the competent authority.
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए भी पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र)।
9. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए भी पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र।
10. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (अनुसूची-1/प्रपत्र-1)।
11. दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
12. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा Counselling के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने भरे गये आवेदन पत्र में किया गया है।

यदि अभ्यर्थियों द्वारा Counselling के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समूचित निर्णय लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।


19. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- www.statehealthsocietybihar.org के Home Page पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन passport size रंगीन फोटो (20 kb to 100kb in jpg/jpeg/png format) एवं हस्ताक्षर (10 kb to 100kb in jpg/jpeg/png format) में upload करना अनिवार्य होगा। Online आवेदन में upload किये जाने वाले passport size रंगीन फोटो की पाँच प्रति print कर सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

20. उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं Online आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे तथा Online आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं Online आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जिम्मेवार नहीं होगी। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। Online आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Signature

Signature

21. संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी Online आवेदन समर्पित करते समय Active E-mail ID एवं Mobile Number इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। E-mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।
22. Online आवेदन समर्पित करने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।
23. Internet या बैंक व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने एवं समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करेंगे बल्कि अंतिम तिथि के पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
24. उक्त पद के Counselling हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।
25. विज्ञापित पद की रिक्ति की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए बिना, विज्ञापन को रद्द करने/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।


कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



